कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़,(छ.ग.)

Phone No. :- 07762-222911,Fax No. :- 07762-222923
Email :- nraigarh@ymail.com, Website - WWW.nagarnigamraigarh.com

क्रमांक 607 /स्वा.वि./न.पा.नि./2023 रायगढ़ दिनांक 19/05/2023

–: ई–प्रोक्यूरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना (जोन क्र. 07) :–

नगर पालिक निगम, रायगढ़ वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वास्थ्य विभाग हेतु कलेक्टर दर पर 36 प्लेसमेंट अकुशल श्रमिक प्रदाय कार्य जिसकी अनु. लागत राशि 43,02,720 ₹ अमानत राशि 32,280₹ निविदा प्रपत्र शुल्क 1500₹ कम्पनी/फर्म/एजेंसी/महिला स्व–सहायता समूह/एनजीओ/ ठेकेदार से निविदा प्रपत्र ''अ'' में अपना दर प्रतिशत दर पर प्रस्तुत करें। उपरोक्त कार्य की सामान्य शर्ते, विस्तृत निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी System Tender No. 134869 ई–प्रोक्यूरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.govt.in से देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क डी.डी. के माध्यम से एवं अन्य दस्तावेज दिनांक 13.06.2023 अपरान्ह 4:30 बजे तक स्पीडपोस्ट/पंजीकृत डाक से मुहर बंद पद्धति से आमंत्रित की जाती है।

नोट :– * नियम एवं शर्ते संलग्न कर वेबसाईड WWW.nagarnigamraigarh.com/uad.cg.gov.in एवं https://eproc.cgstate.govt.in पर अपलोड है।

* कार्य का अन्य विवरण एवं नियम शर्ते कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्र. 607 /स्वा.वि./न.पा.नि./2023 रायगढ़, दिनांक 19/05/2023

प्रतिलिपि :–

1. महापौर, सभापति, नेता प्रतिपक्ष एवं भारसाधक सदस्य (MIC), नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. कार्यापालन अभियंता, नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
3. प्रोग्रामर डाटासेन्टर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) को विभागीय वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
4. जन सम्पर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम रायगढ़ को विज्ञापन देने कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
5. संपादक दैनिक समाचार पत्र .... को .... से.मी. में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
6. आवक शाखा लिपिक, नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
7. कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ के सूचना पटल में चस्पा हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़,(छ.ग.)

" स्वास्थ्य विभाग में श्रमिक प्रदाय संबंधी निविदा (वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु) नियम एवं शर्ते "

1. निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति को स्केन कर ई–प्रोक्यूरमेंट की बेबसाईट पर अपलोड करना होगा तथा EMD व शपथ पत्र की मूल प्रति कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–
   (A) कंपनी/फर्म/एजेंसी/ठेकेदारी/स्व–सहायता समूह/एनजीओं का छ.ग. राज्य में स्थित किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/केन्द्र शासन के कार्यालय में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
   (B) वित्तीय वर्ष 2020–21 का आयकर विवरणी पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
   (C) वस्तु एवं सेवा कर (GST) में पंजीयन की प्रमाणित छायाप्रति।
   (D) यदि फर्म है, तो पार्टनरशिप डीड प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।
   (E) बैंक सालवेंसी प्रमाण पत्र, कुल कार्य की लागत का 15% अथवा अधिक, जिसकी वैधता निविदा खुलने की तिथि तक हो।
   (F) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, छ.ग. के कार्यालय में पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा निविदा स्वीकृत होने के 30 दिवस में कराकर प्रस्तुत करने का शपथ पत्र की मूल प्रति संलग्न किया जावे।
   (G) समान प्रकृति के कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति।
   (H) कंपनी/फर्म/एजेंसी/स्व–सहायता समूह/एनजीओं/ठेकेदार का (जिसके नाम आवेदन पत्र दिया जा रहा हो उसी के नाम पर) पेन कार्ड का छायाप्रति।
   (I) राशि रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप (Annexure-13) में शपथ पत्र।
   (J) धरोहर राशि FDR/TDR की प्रति (जिसकी वैधता कम से कम 01 वर्ष होनी चाहियें)।

   उपरोक्त कंडिका क्रं. (A) से (H) तक सभी प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति एवं क्र. (I) एवं (J)की मूल प्रति निर्धारित तिथि तक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी निविदा नहीं खोली जावेगी।
2. ऑन लाईन निविदा द्वारा अमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चेक या टी.डी.आर./एफ.डी.आर. आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ के नाम से रायगढ़ में देय हो, ही स्वीकार किये जावेगें। निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चेक या टी.डी.आर. प्राप्त न होने पर निविदा लिफाफा नही खोली जावेगी। अन्य माध्यमों अथवा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. 10 प्रतिशत से ज्यादा श्रमिक की अनुपस्थिति रहने पर ठेकेदार के विरूद्ध 5000/– अर्थदण्ड प्रतिमाह की दर से होगा एवं इसकी कटौती ठेकेदार के उक्त माह के बिल में से की जायेगी।
4. कंपनी/फर्म/एजेंसी/स्व–सहायता समूह/एनजीओं/ठेकेदार का कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन, छत्तीसगढ़ के कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
5. ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु निविदा दर समस्त करों हितलाभ, अधिक विशेष वेतन एवं ई.पी.एफ. की राशि को जोड़कर एक मुश्त प्रतिशत दर में प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत दर के अलावा अन्य किसी भी हितलाभ का भुगतान पृथक से नहीं किया जायेगा।
6. जिन ठेकेदारों/फर्मो द्वारा पूर्व में श्रमिकों के ई.पी.एफ. नियमित रूप से जमा नहीं किया गया है एवं विसंगतियां पाई है, वे निविदा में भाग के पात्र नहीं होंगे।
7. ठेकेदार को जिला कलेक्टर/श्रम पदाधिकारी, रायगढ़ द्वारा समय–समय पर स्वीकृत प्रचलित दर पर पारिश्रमिक का भुगतान करना बंधनकारी होगा।

8. निष्ठा एप्लीकेशन में उपस्थिति के आधार पर ही प्लेसमेंट कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक, उनके बैंक खाते में प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा आर.टी.जी.एस. द्वारा हस्तांतरित किया जावेगा। ई.पी.एफ., ई.एस.सी.आई. आदि की भी गणना कर प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा चालान द्वारा हस्तांतरित किया जावेगा एवं बैंक द्वारा आर.टी.जी.एस./ई.पी.एफ. चालान की मूल रसीद प्लेंसमेंट एजेंसी द्वारा निकाय को प्रस्तुत करने पर एवं निगम द्वारा सत्यापन उपरांत प्लेसमेंट एजेंसी को भुगतान/प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जावेगी।

9. देयक से नियमानुसार आयकर की कटौति की जावेगी।

10. ठेकेदार को कार्यादेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर श्रम विभाग, जिला रायगढ़ छ.ग. द्वारा जारी श्रमिक रखने संबंधी लाईसेंस (अनुज्ञप्ति) की सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। श्रमिक रखने संबंधी लाईसेंस 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत नहीं करने के स्थिति में बिना किसी अन्य सूचना के निविदा निरस्त की जाकर अमानत राशि राजसात की जावेगी।

11. ठेकेदार द्वारा प्रदाय श्रमिकों की आयु किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए व ना ही 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

12. निविदाकार को छ.ग. में प्रचलित लेबर एक्ट तथा मजदुरी एक्ट की धाराओं एवं नियमों/शर्तो का पालन करना होगा एवं उसके लिये नगर निगम जिम्मेदार नही होगा। कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट 1960 व कान्ट्रेट लेबर एक्ट 1969 के नियमों का पालन करना होगा।

13. श्रमिकों के लिये मूल कार्य नहीं होने की स्थिति में अन्य समकक्ष कार्य सौंपने पर दायित्व का निर्वहन किया जाना होगा।

14. जिन कार्यो हेतु लगातार कर्मचारी रखने की आवश्यकता है वहां नये कर्मचारी आने पर पुराने कर्मचारी को अवकाश दिया जावेगा।

15. किसी भी स्थिति में ठेकेदार द्वारा बिना सक्षम अधिकारी को पूर्व सूचना दिये किसी भी श्रमिक को कार्य से पृथक नहीं किया जावेगा तथा संतोषप्रद कार्य नहीं करने वाले श्रमिकों को विभागाध्यक्ष/आयुक्त की अनुशंसा उपरान्त कार्य से पृथक किया जा सकेगा।

16. कार्य की आवश्यकता तक ही श्रमिक/व्यक्ति रखे जावेंगे। श्रमिकों का निकाय से कार्य में रखने संबंधी प्रत्यक्ष संबंध नहीं होगा।

17. ठेकेदार को सभी प्रदाय श्रमिकों का बीमा एवं श्रम विभाग में पंजीयन स्वयं के व्यय पर करना होगा। श्रमिकों के किये गये बीमा की छायाप्रति कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों का बीमा नहीं कराये जाने पर ठेकेदार को लाभ की राशि का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

18. वर्तमान में कार्यरत श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य में रखना होगा।

19. ठेकेदार द्वारा सफाई कार्य के लिये प्रदाय श्रमिकों की संख्या के आधार पर समस्त सफाई कामगारों को सुरक्षा सामग्री–ऐप्रान, मास्क, दस्ताना, गमबूट आदि स्वच्छता प्रभारी के निर्देशानुसार कार्यादेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर प्रदाय करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा सामग्रियों प्रदाय नहीं करने की स्थिति में ठेकेदार के देयक के लाभ की राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा एवं कार्यालय द्वारा सामग्री प्रदाय किये जाने पर ठेकेदार के लाभ की राशि से सामग्रियों के मूल्य के बराबर की राशि की कटौति कर समायोजित की जावेगी, जिसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

20. कार्य में आने वाले श्रमिकों को ड्रेस कोड में आना अनिवार्य होगा ड्रेस कोड में नहीं आने पर प्रतिदिवस प्रतिव्यक्ति 10 रूपये के मान से दण्ड अधिरोपित किया जावेगा। जिसकी जवाबदारी ठेकेदार का होगा।

21. श्रमिक के फोटोग्राफ, पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा। ऐसे श्रमिको जिनका कार्य असंतोष जनक होगा, उन श्रमिकों को बदलने का अधिकार नगर निगम को होगा, एवं श्रमिको को बदलने की स्थिति में 03 दिवस के भीतर ठेकेदार को श्रमिकों का नाम, पूरा पता व फोटोग्राफ प्रमाणित कर देना होगा।

22. श्रमिकों की उपस्थिति दिन में दो बार अर्थात कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं कार्य पश्चात् ली जावेगी। दोनों समय की उपस्थिति के पश्चात ही श्रमिकों को पूरे दिन के लिये उपस्थित माना जावेगा। दोपहर की उपस्थिति के समय अनुपस्थित रहने की स्थिति में पूरे दिवस अनुपस्थित माना जावेगा।

23. श्रमिकों को प्रतिदिन 08 घंटा एक साथ एक ही पाली में अथवा जैसा उन्हें निर्देशित (दिन एवं रात्रि पाली में) किया जाएगा कार्य करना होगा प्रति रविवार एवं बुधवार को प्रथम पाली में ही कार्य करना होगा। श्रमिकों को कार्य संबंधी उपकरण (औजार) साथ में लेकर आना होगा।

24. श्रमिकों द्वारा किये जा रहे कार्यो का सत्यापन आयुक्त अथवा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। श्रमिकों की उपस्थिति कार्य स्थल पर ली जावेगी। जिसके आधार पर देयक का भुगतान किया जावेगा।

25. ठेकेदार द्वारा प्रदाय समस्त श्रमिकों का समूह बीमा कराना अनिवार्य होगा। किसी भी अप्रिय स्थिति अथवा अप्रिय घटना होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

26. किसी भी स्थिति में काम बंद होना या हड़ताल किया जाना स्वीकार नही किया जायेगा। कार्य नही होने की स्थिति में पूर्व कंडिका क्रमांक 03 में उल्लेखित अर्थदण्ड के साथ ही निविदा निरस्त कर अमानत राशि सहित समस्त देयक राशि निगम कोष में राजसात कर ली जायेगी एवं संबंधित ठेकेदार को नगर निगम रायगढ़ के किसी भी निविदा में भाग लेने से 03 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जावेगा।

27. ठेकेदार को सभी प्रदाय श्रमिकों का फोटोयुक्त परिचय पत्र प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी कराकर प्रदाय करना होगा, जिसमें कर्मचारी का नाम एवं पदनाम पूर्ण स्थाई पता लिखा होना चाहियें।

28. शासकीय/अशासकीय/न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति पारित आदेश का दायित्व ठेकेदार का होगा।

29. ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में अनुबंध बिना किसी क्षतिपूर्ति के समाप्त किया जा सकता है, जिसके लिये कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

30. आवश्यकतानुसार श्रमिकों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी।

31. निविदाकार को छ.ग. श्रम अधिनियम एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 में उल्लेखित प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

32. राज्य शासन/केन्द्र सरकार एवं श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर पारित आदेश स्वतः लागू रहेंगे।

33. विवाद की स्थिति में नगर निगम प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। जिसके लिये कोई भी न्यायालय में वाद–विवाद मान्य नहीं होगा।

34. यह निविदा 01 वर्ष के लिए मान्य होगी। आवश्यकतानुसार 25 प्रतिशत अतिरिक्त समायावधि के लिए विभाग द्वारा निविदा को बढ़ाया जा सकेगा, जिसके लिए पृथक से अतिरिक्त को राशि देय नहीं होगी, इसके अतिरिक्त समय के लिए समय वृद्धि ठेकेदार की सहमति नई निविदा तक की जा सकेगी।

35. ठेकेदार द्वारा अनुबंध अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा, यदि अनुबंध के बीच की अवधि में कार्य छोड़ा जाता है तो ठेकेदार के "रिस्क एण्ड कास्ट" में पुनः निविदा आमंत्रण की जावेगी तथा जमा सुरक्षा निधि/अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

36. सशर्त निविदायें मान्य नहीं होगी।

37. निविदाकार को सफाई कार्य के लिये श्रमिक उपलब्ध कराना होगा। श्रमिक की संख्या कम या अधिक करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ को होगा।

38. निर्धारित समयावधि में इकरारनामा नही करने और निर्धारित नियमों व शर्तो के तहत कार्य न करने पर आयुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि राजसात कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

39. उपरोक्त निविदाओं की तिथियों में किसी तिथि को अवकाश होने अथवा घोषित होने पर अगले कार्य दिवस पर निविदा से संबंधित कार्यवाही की जा सकेगी।

40. निविदा को किसी भी अपरिहार्य कारणों से निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ को होगा।

41. शासन द्वारा जारी निर्देश/आदेश के अनुसार प्रति श्रमिक के ई.पी.एफ. खाता में ई.पी.एफ. राशि प्रति माह ठेकेदार द्वारा जमा उपरांत बिल के साथ चालान संलग्न कर प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जावेगा ई.पी.एफ. राशि प्रति माह जमा करना अनिवार्य है एवं ई.पी.एफ. जमा उपरोन्त ही उस माह की देयक का भुगतान किया जावेगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

42. वार्ड में कार्यरत ठेका कर्मचारियों की उपस्थिति प्रति दिवस नियमानुसार निष्ठा ऐप के अन्तर्गत दर्ज कि जावेगी इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा नियुक्त वार्ड दरोगा/सुपरवाईजर के द्वारा प्रतिदिवस प्रत्येक कर्मचारियों का (मैन्युअल उपस्थिति) उपस्थिति पत्रक का संधारण किया जावेगा जिसमें दर्ज उपस्थिति की रिपोर्ट प्रतिदिवस कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था करायी जावेगी।

43. निविदाकार के निविदा स्वीकृत होने पर नगर पालिक निगम रायगढ़ क्षेत्रान्तर्गत स्थान पर निविदाकार/ठेकेदार का कार्यालय होना अनिवार्य होगा।

44. दो या दो से अधिक समान न्यूनतम दर प्राप्त होने पर निम्नानुसार प्राथमिकता होगी :–

    (अ). महिला स्व. सहायता समूह को प्राथमिकता।
    (ब). स्व. ऐच्छिक संगठन अथवा N.G.O को द्वितीय प्राथमिकता।
    (स). सहकारी समिति को क्रमशः तृतीय क्रम की वरीयता दी जायेगी।

45. श्रमिकों को प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे अथवा आवश्यकता अनुसार निर्देशित समय पर अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, जो कम से कम 08 घण्टे एक साथ एक ही पाली में अथवा जैसा उन्हें निर्देशित किया जाये, कार्य करना होगा।

46. ठेकेदार/एजेंसी को निकाय निधि में पर्याप्त राशि उपलब्ध होने पर अथवा शासन से अनुदान प्राप्त होने पर ही देयक भुगतान किया जावेगा, जिसकी अधिकतम समय–सीमा 03 माह तक हो सकती है परन्तु ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रतिमाह की 10 तारीख तक भुगतान करना अनिवार्य होगा। अतः सलाह दी जाती है कि वित्तीय रूप से सक्षम कम्पनी/फर्म/एजेंसी/स्व–सहायता समूह/एनजीओ/ठेकेदार ही भाग ले जो 03 माह तक श्रमिकों को भुगतान एवं अंशदान की राशि का भुगतान करने में सक्षम हों।

47. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों से कार्य कराये जाने की जिम्मेदारी नगर निगम के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की होगी।

48. यदि ठेका अनुबंध के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो इसका निपटारा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 403 के प्रावधानों के अनुसार अपीलीय समिति के द्वारा किया जायेगा तथा इसका क्षेत्राधिकारी नगर पालिक निगम, रायगढ़ की संपूर्ण सीमा होगी।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)